अनुबंध-I

(पैराग्राफ सं. 11.4.5.3 में संदर्भित)

सुपर स्पेशियलिस्ट चिकित्सक - रोगी अनुपात

सुपर स्पेशियलिटी का नाम	प्रति विशेषज्ञ प्रति वर्ष उपस्थित हुए रोगियों की सं. (सहायक प्राध्यापक तथा उससे ऊपर के श्रेणी के)			
	2013-14	2014-15	2015-16	वर्ष 2013-14 के संबंध में प्रतिशतता वृद्धि
कार्डियोलॉजी	8060	12601	17643	119
कार्डोयो-थौरैसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस)	2507	4931	7255	189
क्लीनिकल इम्यूनोलॉजी	14730	17627	23421	59
मेडिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी	9429	12410	15745	67
सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी	1531	2737	5098	233
प्लास्टिक सर्जरी	2009	2649	2873	43
नेफ्रोलॉजी	7980	12772	15334	92
यूरोलॉजी	8584	9389	11526	34
न्यूरोलॉजी	12097	18371	23843	97
न्यूरोसर्जरी	2207	3035	5283	139
पेडियाट्रिक्स सर्जरी	4819	4879	5106	6
एंडोक्रिनोलॉजी	5522	10974	14416	161
मेडिकल ऑन्कोलॉजी	12690	25088	28319	123
सर्जरी ऑन्कोलॉजी	1038	3438	7111	585

अनुबंध -II

(पैराग्राफ सं. 11.4.6.1 में संदर्भित)

अप्रयुक्त बेड दिनों का विवरण

वर्ष	कार्यात्मक बेडों की संख्या	बेड दिनों[1] की कुल संख्या	अधिकृत आईपी दिनों की कुल संख्या	अप्रयुक्त बेड दिनों की कुल संख्या [(3) - (4)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
2012-13	1,618	5,90,570	5,69,035	21,535
2013-14	1,790	6,53,350	5,40,754	1,12,596
2014-15	1,855	6,77,075	6,14,875	62,200
2015-16	2,044	7,46,060	6,57,371	88,689
कुल		26,67,055	23,82,035	2,85,020

[1] एक वर्ष में बेड दिन = (उस वर्ष में कार्यात्मक बेडों की संख्या)*365 दिन

अनुबंध-III

(पैराग्राफ सं. 11.4.6.2 में संदर्भित)

सर्जरी का इंतजार कर रहे रोगियों की स्थिति

विभाग का नाम	सर्जरी का इंतजार कर रहे रोगियों की संख्या	बैकलॉग समाप्त करने के लिए अपेक्षित समय	बैकलॉग के लिए विभाग द्वारा बताए गए कारण तथा बैकलॉग समाप्त करने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता।
न्यूरोसर्जरी	271	3 से 20 माह	1. ऑपरेशन थियेटर की पर्याप्त संख्या का अभाव। 2. वर्तमान में केवल एक मामला प्रति ओ.टी. टेबल प्रति दिन आबंटित की जाती है जो दो तक बढ़ाया जा सकता है यदि एनेसनेसियोलॉजिस्ट तथा सहायक स्टाफ उपलब्ध हों। 3. न्यूरोनेविगेशन, मल्टी पैरामीटर उत्पन्न पोटेंशियल पैरामीटर तथा प्रतिदीप्ति सहित उन्नत परिचालन सूक्ष्मदर्शी जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों की गैर-संस्थापना।
ई.एन.टी	हानिकारक मामले - 9 गैर-हानिकारक मामले - 11	1 माह	1. ओटी की कमी 2. जांच की गैर-उपलब्धता (ईजी. थाईरॉईड फंक्शन टेस्ट) 3. जांच परिणामों में विलंब
सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी	10	1 माह	1. प्रतिबंधित ओटी दिवस (एक सप्ताह में 5 दिन आबंटित किए गए हैं) 2. प्रतिबंधित ओटी समय (केवल दोपहर 12 बजे तक)
जनरल सर्जरी	350	2 सप्ताह से 16 सप्ताह	1. अपर्याप्त ऑपरेशन दिवस 2. प्रतिबंधित ओटी समय (आधे दिन को एम्स तथा पीजीआईएमईआर की तरह पूरे

			दिन (प्रातः 8.00 से सांय 5.00 तक) तक बढ़ाया जाना चाहिए।
कार्डोयो-थोरैसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस)	1404	36 माह	1. एनिस्थियोलॉजिस्ट, विशेष रूप से कार्डियो एनिस्थियोलॉजिस्ट तथा अन्य पारा मेडिकल स्टाफ की कमी। 2. आईसीयू में सीटीवीएस हेतु केवल 6 बेड। 2 बेड वाला आईसीयू तथा 4 बेड वाला पेन क्लिनिक आईसीयू 2009 से कार्य नहीं कर रहे। 3. नर्सिंग स्टाफ की पर्याप्त संख्या की कमी। 4. निधियों की कमी।
पैडियाट्रिक सर्जरी	160	6 माह	1. 12 ओटी की उपलब्धता के बावजूद केवल 6-7 ओटी का उपयोग किया जा रहा है। 2). ओटी समय बढ़ाया जाना चाहिए (12.30 बजे दोपहर तक के बदले इसे 4.30 बजे शाम तक बढ़ाया जाना चाहिए)।
ऑपथेलमोलॉजी	पेनेट्रेटिंग केराटोप्लास्टी -24 पेडियाट्रिक ऑपथल स्कविंट/ओकलोप्लास्टी - 05 रेटीना - 25-30	4 से 5 माह 1 माह 1 से 2 माह	1. ओटी टेबुलों की संख्या का प्रतिबंध 2. उपभोग्य वस्तुओं की गैर उपलब्धता।
प्लास्टिक सर्जरी	200	12 माह	1. ओटी की सीमित संख्याएं एवं समय 2. बेडों की सीमित संख्या

अनुबंध-IV

(पैराग्राफ सं. 13.1.2.1 में संदर्भित)

निधियों का न्यून उपयोग

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्ति	कुल उपलब्ध निधि	उपयोग में आयी कुल निधि	अनुपयुक्त निधि
2011-12	40.79	135.12	36.65	212.56	103.98	108.58 51.08%
2012-13	108.58	68.52	30.83	207.93	106.54	101.39 48.76%
2013-14	101.39	143.53	37.86	282.78	139.51	143.27 50.66%
2014-15	143.27	88.51	17.01	248.79	122.74	126.05 50.66%
2015-16	126.05	128.35	26.18	280.58	156.16	124.42 44.34%

अनुबंध-V

(पैराग्राफ सं. 13.4.7.3 में संदर्भित)

रॉयल्टी के गैर/संक्षिप्त कटौती के मामले

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम (ठेकेदार का नाम)	बिल राशि/बिल सं.	रॉयल्टी की प्रभावी दर (%)	काटे जाने योग्य रॉयल्टी	वास्तविक काटी गयी रॉयल्टी	रॉयल्टी की शेष राशि जो काटे जाने योग्य है
1.	धातुकर्म इंजीनियरिंग विभाग का नवीनीकरण (मेसर्स वर्धमान फेब टेक)	44.97 (6 आरएबी)	1.5	0.67	0.34	0.33
2.	स्टाफ कवार्टर्स बी-3, बी -12, डी-32 & एच-30 का नवीकरण कार्य (मेसर्स श्री गणपति कंस्ट्रक्शन)	12.30 (2 एफबी)	1.5	0.18	0.12	0.06
3.	सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण (मेसर्स एसएस इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन)	22.40 (1 आरएबी)	1.5	0.33	0.22	0.11
4.	स्टॉर्म जल निकासी और टेनिस कोर्ट के चारों ओर कम्पाउंड दीवार का निर्माण (मेसर्स वर्धमान फेब टेक)	10.19 (3 एफबी)	1.5	0.15	0.05	0.10
5.	रसायन विज्ञान प्रयोगशाला (1 और 2) और कमरे का नवीकरण कार्य (मेसर्स वर्धमान फेब टेक)	10.41 (3 एफबी)	1.5	0.16	0.09	0.07
6.	एसटीपी और एफ-ब्लॉक के पास सीमा की दीवार का निर्माण (मेसर्स रिद्धी सिद्धी एसोसिएट्स)	13.43 (3 एफबी)	1.5	0.20	0.13	0.07
7.	विभिन्न स्थानों पर पूर्व-निर्मित इस्पात संरचनाओं की डिजाइन, आपूर्ति और स्थापना (मेसर्स चोपड़ा एलम्यूनियम)	573.59 (8 एफबी)	1.0	5.73	1.51	4.22
8.	तीन नए सिंथेटिक (ऐक्रेलिक) टेनिस कोर्ट का निर्माण (मेसर्स सिंकॉट्स इंटरनेशनल)	51.93 (3 आरएबी)	1.5	0.78	0.53	0.25
9.	इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग पर दूसरी	172.06	3.0	5.16	---	5.16

	मंजिल का निर्माण (मेसर्स किशन सहाय मीणा)	(7 आरएबी)				
10.	लड़कियों के छात्रावास के पीछे से 198 फ्लैटों की नई साइट पर सड़क का निर्माण (मेसर्स हिम्मत सिंह राठौर)	50.16 (3 आरएबी)	3.0	1.50	---	1.50
11.	गेस्ट हाउस नंबर 1 पर एक अतिरिक्त मंजिल और शौचालय और रसोईघर के नवीकरण का निर्माण (मेसर्स किशन सहाय मीणा)	146.09 (5 आरएबी)	2.0	2.92	---	2.92
12.	बिटुमिनस सड़क को पुन: बिछाना (मेसर्स किशन सहाय मीणा)	242.0 (6 एफबी)	1.5	3.63	---	3.63
	कुल			21.41	2.99	18.42

अनुबंध-VI

(पैराग्राफ सं. 13.4.7.3 में संदर्भित)

वैट के कम कटौती के मामले

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम (ठेकेदार का नाम)	बिल राशि	वैट की प्रभावी दर (%)	काटे जाने योग्य वैट	वास्तविक काटी गयी वैट	वैट की शेष राशि जो काटे जाने योग्य है
1.	स्टाफ कवार्टर्स बी-3, बी -12, डी-32 & एच-30 का नवीकरण कार्य (मेसर्स श्री गणपति कंस्ट्रक्शन)	12.49 (2 एफबी)	6.0	0.75	0.37	0.38
2.	सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण (मेसर्स एसएस इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन)	72.43 (2 आरएबी)	6.0	4.35	2.17	2.17
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग पर दूसरी मंजिल का निर्माण (मेसर्स किशन सहाय मीणा)	20.50 (7 आरएबी)	6.0	1.23	0.62	0.61
4.	इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के पास आरयूएमएस के सीआईटीसी और केबल बिछाने के काम (मेसर्स विनायक इलेक्ट्रिक्ल)	43.93 (2 एफबी)	6.0	2.64	1.32	1.32
5.	लड़कियों के छात्रावास के पीछे से 198 फ्लैटों की नई साइट पर सड़क का निर्माण (मेसर्स हिम्मत सिंह राठौर)	10.69 (1 आरएबी)	3.0	0.32	0.11	0.21
		28.85 (2 आरएबी)	3.0	0.87	0.29	0.58
		10.62 (3 आरएबी)	6.0	0.64	0.11	0.53
			कुल	**10.80**	**5.00**	**5.80**

अनुबंध-VII

(पैराग्राफ सं. 16.1 में संदर्भित)

पीएमईजीपी के कार्यान्वयन विधियों की मुख्य विशेषताएं

- पीएमईजीपी एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी है जिसमें, लाभार्थी अर्थात् पहली पीढ़ी के उद्यमी जिनकी अपनी नई परियोजना बैंक ऋण (क्रेडिट) के माध्यम से वित्तपोषित होती है, उनकी परियोजना की लागत के भाग के वित्तपोषण के लिए प्रतिशत सब्सिडी के साथ प्रदान किया जाता है।

- जीओआई निधि दो शीर्षों के अंतर्गत जारी किया जाएगा 'मार्जिन मनी' (एमएम) और 'बैकवार्ड और फॉरवार्ड के संबंध' (बीएफएल)। कार्यक्रम के तहत लाभार्थी उद्यमी को प्राप्त सरकारी अनुदान को एमएम कहा जाता है, जबकि बीएफएल के लिए निधि कार्यक्रम की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए है।

- सरकारी निधियों को (अर्थात पीएमईजीपी के लिए योजना निधि), मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नोडल एजेंसी अर्थात केवीआईसी मुख्यालय को प्रदान की जाएगी। बदले में केवीआईसी के मुख्यालय, एमएम फंड को राज्य/जिला स्तर में इसके कार्यालय (केवीआईसी) के मुख्य बैंक खाते के साथ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार रखेंगे। केवीआईसी के राज्य निदेशक को उसे केवीआईसी के मुख्य खाते में जमा करना है (अर्थात् केवीआईसी-एसओ पीएमईजीपी मुख्य खाता)। राज्य निदेशक, केवीआईबी और डीआईसी के परामर्श से, कार्यान्वयन से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नोडल बैंक बचत खाते खोलेंगे और उनके संबंधित वित्तपोषण शाखाओं को उनके द्वारा सब्सिडी के बाद जारी होने के लिए एकमुश्त जमा राशि जारी करेंगे।

- व्यक्तिगत उद्यमी लाभार्थी की परियोजनाओं के लिए निधियों का स्तर परियोजना लागत का 15-35% से भिन्न होता है, इस पर निर्भर करता है कि क्या लाभार्थी की श्रेणी 'विशेष' (अर्थात् महिला, एससी/एसटी/ओबीसी) या 'सामान्य' है और परियोजना का

स्थान अर्थात चाहे वह ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में स्थित हो।

- लाभार्थियों से परियोजना लागत का 5 या 10 प्रतिशत योगदान, उनके वर्ग के आधार पर अर्थात सामान्य या विशेष करने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार, पीएमईजीपी के तहत प्रभावी बैंक वित्तपोषण परियोजना लागत का 60-75 प्रतिशत है।

- प्रत्येक जिला स्तर पर गठित जिला स्तर की कार्यदल समिति (डीएलटीएफसी) अनुभव, तकनीकी योग्यता, व्यवहार्यता आदि के आधार पर आवेदनों की संवीक्षा करेगी और स्वीकृति के लिए मामलों की अंतिम सूची की सिफारिश करेगी, जिसे संबंधित आइए से लाभार्थियों द्वारा अपने आवेदन में चुने गए बैंक में वित्तपोषण हेतु सूचित किया जाएगा।

- डीएलटीएफसी के अनुशंसित मामलों की प्राप्ति पर, संबंधित वित्तपोषण बैंक उनके व्यवहार्यता विश्लेषण और उचित परिश्रम के आधार पर अपना क्रेडिट निर्णय लेगा।

- पहली किस्त जारी करने से पहले, बैंक उद्देश्य के लिए नामित प्रशिक्षण संस्थानों में अनिवार्य 'उद्यमी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण का समन्वय करेगा।

- प्रशिक्षण पूरा होने पर, लाभार्थी अपने वित्तपोषण शाखा के पास अपने योगदान को जमा कर देगा और उसके बाद, ऋण की पहली किस्त जारी की जाएगी, और एमएम के दावेदार को लाभार्थी द्वारा वित्तपोषण बैंक के माध्यम से अपने नोडल बैंक को उनके आईए की संबंधित प्रति के साथ जमा कर दिया जाएगा। आवश्यक चेक के प्रयोग के बाद नोडल बैंक एमएम जारी करेगा। फाइनेंसिंग शाखा तीन वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा प्राप्ति (टीडीआर) के तहत एमएम रखेगी, जिसके दौरान कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा और ऋण की मिलान राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा।

- तीन वर्षों के पूरा होने से पहले पीएमईजीपी के तहत वित्तपोषित इकाइयों के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाएगा; और केवीआईसी आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाओं के पीवी का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि एमएम पहले नामित नोडल बैंक द्वारा जारी किया जाएगा, संबंधित आईए मापदण्ड की पूर्ति

के आधार पर दावे को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम प्राधिकरण है, जो वित्तपोषित परियोजना के पीवी रिपोर्ट पर विचार कर रहा है।

- पीवी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, संबंधित आईए को वित्तीय शाखा में एमएम समायोजन पत्र जारी करना है, यदि इकाई, कार्यक्रम के सभी मापदंडों को पूरा कर रही है, अन्यथा वित्तपोषण शाखा को सलाह दी जाएगी कि वह एमएम वापस भेज दें जिसे नोडल बैंक खाता के टीडीआर के तहत रखा गया था।

- मंत्रालय से निधि की रसीद के अनुसार केवीआईसी केंद्रीय कार्यालय द्वारा बीएफएल गतिविधियों के लिए राज्य-वार पृथक निधियां जारी की गई हैं।

अनुबंध-VIII

(पैराग्राफ सं. 16.1 में संदर्भित)

2008-09 से 2015-16 तक पीएमईजीपी के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धि		
		परियोजना की सं.	एमएम (₹ लाख में)	कर्मचारी (सं. लाख में)	परियोजना की सं.	एमएम (₹ लाख में)	कर्मचारी (सं. लाख में)
1.	2008-09	61662	74000.00	6.17	19166	35623.39	2.05
2.	2009-10	46640	55970.00	4.66	40918	76243.75	4.25
3.	2010-11	59714	83600.00	5.97	49064	89118.26	4.81
4.	2011-12	57143	80000.00	5.71	55135	105783.66	4.96
5.	2012-13	53826	123800.00	4.31	57884	108066.4	4.28
6.	2013-14	90672	114500.00	7.25	50493	107644.48	3.79
7.	2014-15	87924	109306.00	7.03	48168	112253.87	3.58
8.	2015-16	64529	128620.30	5.16	44340	102006.33	3.23
कुल		**522110**	**769796.3**	**46.26**	**365168**	**736740.14**	**30.95**
उपलब्धि की प्रतिशतता					**70**	**95.71**	**67**

अनुबंध-IX

(पैराग्राफ सं. 23.1.2.4 में संदर्भित)

गैर-परिचालित योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-वार बैंक शेष

(₹ लाख में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वार्षिक लेखा के अनुसार प्रारंभिक शेष 2013-14 (अर्थात् 31.3.13)	बैंक शेष (तिथि को)	राशि
1.	एसजीएसवाई[2]	855.01	31.03.2013	250.29
			31.03.2014	260.40
			31.03.2015	270.93
			31.03.2016	281.90
2.	एनआरसी[3]	1120.77	31.03.2013	53.10
			31.03.2014	55.24
			31.03.2015	57.48
			31.03.2016	59.81
3.	यूएनडीपी एचआईवी/एड्स[4]	44.49	31.03.2013	4.90
			31.03.2014	5.10
			31.03.2015	5.31
			31.03.2016	5.52
4.	सांस्कृतिक आदान-प्रदान	102.67	31.03.2013	0.04
			31.03.2014	0.04
			31.03.2015	0.04
			31.03.2016	0.04
5.	केआरवाईसीईपी[5]	(29.25)	31.03.2013	0.04
			31.03.2014	0.04
			31.03.2015	0.04
			31.03.2016	0.04

[2] स्वर्ण ग्राम सड़क योजना

[3] राष्ट्रीय रिकन्सट्रक्शन कॉपस

[4] संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अवैध मानव व्यापार एवं एचआईवी/एड्स

[5] कश्मीरी ग्रामीण युवा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम